



केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के वरिद्ध जाँच

प्रलिस के लयि

मसाला बॉण्ड, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, प्रवर्तन नदिशालय, वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम

मेन्स के लयि

मसाला बॉण्ड और इससे संबंधति महत्त्वपूर्ण पहलू

चर्चा में क्यों?

[प्रवर्तन नदिशालय](#) (ED) ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के वरिद्ध वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम (FEMA) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है।

प्रमुख बदि

- ध्यातव्य है कि प्रवर्तन नदिशालय की यह जाँच भारत के नयित्क एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की उस रपिर्त पर आधारति है, जसिमें कहा गया था कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने केंद्र सरकार की अनुमतिके बनिा मसाला बॉण्ड जारी करके 2,150 करोड़ रुपए जुटाए थे।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने मसाला बॉण्ड जारी करके 2150 करोड़ रुपए जुटाए थे, जसिके साथ ही KIIFB अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाज़ार में मसाला बॉण्ड के माध्यम से धन एकत्रति करने वाली पहली सरकारी एजेंसी बन गई थी।
- हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के मुताबकि, कसिी राज्य की कार्यकारी शक्ति, भारत के क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक ही सीमति है, वही अनुच्छेद 293 (3) में कहा गया है कि राज्य, केंद्र सरकार की सहमतिके बनिा कोई भी ऋण नहीं ले सकते हैं।
- इसी तथ्य को रेखांकति करते हुए नयित्क एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपनी रपिर्त में कहा है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने मसाला बॉण्ड का प्रयोग करके धन जुटाकर संविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कयिा है।

क्या होते हैं मसाला बॉण्ड?

- मसाला बॉण्ड, वदिशी निविशकों से धन एकत्रति करने के लयि देश के बाहर कसिी भारतीय संस्था द्वारा जारी कयि जाने वाले बॉण्ड होते हैं।
- इस प्रकार के बॉण्ड की सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हें वदिशी मुद्रा में नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा में जारी कयिा जाता है।
- पहला मसाला बॉण्ड, वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वतित नगिम (IFC) द्वारा भारत की एक आधारभूत ढाँचे से संबंधति परयोजना के लयि जारी कयिा गया था।
 - इस बॉण्ड का नामकरण भी अंतर्राष्ट्रीय वतित नगिम द्वारा ही कयिा गया था।

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB)

- 'केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड' का प्रबंधन करने हेतु KIIFB वर्ष 1999 में केरल सरकार के वतित वभिाग के तहत अस्तित्व में आया था।
- इस फंड का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में महत्त्वपूर्ण और बड़े बुनयिदी ढाँचा परयोजनाओं हेतु निविश प्रदान करना था।
- वर्ष 2016 में केरल सरकार ने KIIFB की भूमिका को एक नगिम इकाई (Corporate Entity) के रूप में परिवर्तित कर दयिा, जसिका उद्देश्य बजट के दायरे से बाहर की वकिसात्मक परयोजनाओं हेतु संसाधन जुटाना था।

प्रभाव

- प्रवर्तन नदिशालय की जाँच के कारण केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को फंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस जाँच के कारण नविशक बोर्ड के मसाला बॉण्ड नहीं खरीदेंगे।
 - ध्यातव्य है कि यह जाँच ऐसे समय में शुरू हुई है जब अंतरराष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC) ने KIIFB को ऋण देने की इच्छा व्यक्त की थी, इस जाँच के कारण KIIFB को मलिनने वाले इस ऋण पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

केरल सरकार का पक्ष

- केरल सरकार का मुख्य तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी को राज्य सरकार द्वारा लयि गए ऋण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- नयित्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस मत का, कि सरकार द्वारा जसि ऋण की गारंटी दी जाती है वह सरकार का ही ऋण होता है, कई अन्य महत्त्वपूर्ण नकियों जैसे भारतीय खाद्य नगिम (FCI) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधकिरण (NHAI) आदि पर काफी दूरगामी परणाम हो सकते हैं।
 - ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार भारतीय खाद्य नगिम (FCI) को अपनी गारंटी पर बजट से अलग 2 लाख करोड़ रुपए तक उधार लेने की अनुमति देती है।
- केरल सरकार के मुताबकि, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को कानूनी रूप से राज्य सरकार से अलग एक नगिम इकाई के रूप में देखा जाना चाहिये, जो कि केवल सरकार से जुड़ी हुई है, न कि सरकार का हसिंसा है। KIIFB एक नगिम इकाई है और वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम (FEMA) के मुताबकि, नगिम इकाइयों वदिश बाज़ार से धन जुटाने के लयि मसाला बॉण्ड जारी कर सकती हैं।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/ed-opens-inquiry-into-kiifb-working>

